संख्याः– 313 /XXVII(1)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,
बद्रीनाथ, केदारनाथ,गंगोत्री,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 **देहरादूनःःदिनांकः 10 :मई,2011**

विषयः–<u>तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों की प्रत्याशा में द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत समनुदेशन के आधार पर गैर निर्वाचित नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु प्रथम किश्त का संकमण।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों की प्रत्याशा में द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार गैर नगर पंचाययतों को चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 की प्रथम त्रैमासिक किश्त हेतु रू0 **1250000.00 (रू0 बारह लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि आवंटित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि हजार में)

क्र0 सं0	नगर पंचायत का नाम	प्रथम त्रैमासिक किश्त	कुल योग
1–	बद्रीनाथ	625	625
2–	केदारनाथ	375	375
3–	गंगोत्री	250	250
	योगः–	**1250**	**1250**

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संकमित की जा रही हैः–

(1) संकमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संकमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या–1674/XXVII(1)/2006, दिनांक 22 नवम्बर,2006 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(2) नगर विकास विभाग संकमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से

आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(3) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(5) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ठ शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3– इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–193–नगर पंचायतें/नोटिफाइड एरिया/कमेटी आदि–00–04–राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्याः– 313 /(1)/XXVII(1)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमॉऊ, उत्तराखण्ड।
4– निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी, चमोली,रूद्रप्रयाग।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें,देहरादून।
7– निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– वरिष्ठ जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरकाशी, चमोली,रूद्रप्रयाग।
9– विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
10–निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
11–एन0आई0सी0, सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।